फर्द अहकाम

आदेश बनाम [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जनवारीमाफी

संख्या 51/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] अप० [illegible] हेतु [illegible] पक्ष [illegible] पत्रावली दिनांक 9/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जनवारीमाफी
	9/5/24	पत्रावली पेश, हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी व प्रार्थी का बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उप० नहीं। पत्रावली की अवलोकन किया पत्रावली में अंकन हेतु व अंकन फेल की बाबत किया गया है। पत्रावली में लम्बा समय होकर वाद [illegible] से कम है। लगभग 2.5 प्रति होकर डाकिल [illegible] है। उप खण्ड अधिकारी जनवारीमाफी